



बिहार सरकार
फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - करगहर

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2023/251326


दिनांक : 17/06/2023

प्रमाणित किया जाता है कि निर्मल कुमार(Nirmal Kumar), पिता-कामता चौधरी(Kamta Chaudhary), माता-सोनामोती देवी(Sonamoti Devi), ग्राम/मोहल्ला-लखनपुरा, पोस्ट-करगहर, थाना- करगहर, प्रखंड-करगहर, अनुमंडल-सासाराम, जिला-रोहतास, राज्य बिहार कुर्मी समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 35 पर अंकित है। अतः निर्मल कुमार, पुत्र- कामता चौधरी, माता-सोनामोती देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : करगहर

दिनांक : 17/06/2023



राजस्व अधिकारी करगहर
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।